न्यायालय : द्वितीय जिला न्यायाधीश, सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

(समक्ष :– सुरेश कुमार चौबे)

Registration No. RCA/18/2022

Filing No. RCA/167/2022

CNR No.MP0508-000667-2022

Filing Date 11-10-2022

द्वितीय जिला न्यायाधीश ★ सोहागपुर, जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.) ★

1. पर्वतसिंह आयु 50 वर्ष, आत्मज पोहपसिंह पटैल,
कृषक, निवासी–ग्राम मोकलवाड़ी,
तहसील सोहागपुर, जिला–नर्मदापुरम
2. महेन्द्रसिंह आयु 45 वर्ष, आत्मज पोहपसिंह पटैल,
कृषक, निवासी–ग्राम मोकलवाड़ी,
तहसील सोहागपुर, जिला–नर्मदापुरम
3. उमेश पटैल आयु 38 वर्ष, आत्मज छतरसिंह पटैल,
कृषक, निवासी– रिटालखापा
तहसील–सोहागपुर जिला–नर्मदापुरम
4. दशरथ सिंह आयु 35 वर्ष, आत्मज रामविलास पटैल,
निवासी ग्राम पथरई तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम

————अपीलार्थीगण / वादीगण

–:: विरूद्ध ::–

1. पोहपसिंह आत्मज मुल्लू पटैल निवासी मोकलवाड़ी (मृत)

(1अ) घनश्याम आयु 28 वर्ष, आत्मज रामविलास गूजर,

(1ब) जीजनबाई, वयस्क, पुत्री रामविलास गूजर
दोनों निवासी ग्राम पथरई तहसील सोहागपुर,
जिला–होशंगाबाद

13-1-2025

(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला–नर्मदापुरम,म.प्र.

2. रामसिंह आयु 35 वर्ष आत्मज थोपलसिंह पटैल,
निवासी–ग्राम मोकलवाड़ी, तहसील सोहागपुर,
जिला–नर्मदापुरम (म.प्र.)
3. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, नर्मदापुरम
जिला–नर्मदापुरम म.प्र.

———उत्तरवादीगण / प्रतिवादी

कुमारी मधुलिका मुले, सिविल जज सीनियर डिव्हीजन सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम द्वारा नियमित व्यवहार वाद क्रमांक Registration No. R.C.S.A.10/2017, Filing No.R.C.S.A.25/2017, C.N.R. No. MP0508000712/2017 पर्वतसिंह एवं तीन अन्य विरूद्ध पोहपसिंह एवं दो अन्य में घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 30.08.2022 से उदभूत नियमित व्यवहार अपील।

–:: उपस्थिति में :–

अपीलार्थीगण की ओर से श्री सी.एम.गुप्ता अधिवक्ता।
उत्तरवादी क. 1 व 2 की ओर से श्री शेर खान अधिवक्ता
उत्तरवादी कं. 3 की ओर से श्री एस.एल.मालवीय, अति.शास.अधि.

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 13.01.2025 को घोषित)

01– अपीलार्थीगण / वादीगण की ओर से यह नियमित सिविल अपील, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा–96 के अन्तर्गत कुमारी मधुलिका मुले, सिविल जज सीनियर डिव्हीजन सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम द्वारा नियमित व्यवहार वाद क्रमांक Registration No. R.C.S.A.10/2017

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला–नर्मदापुरम,म.प्र.

पर्वतसिंह एवं तीन अन्य विरूद्ध पोहपसिंह एवं दो अन्य में घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दि. 30.08.2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि मौजा मोकलवाड़ी प.ह.नं 59 स्थित खसरा नंबर 118 रकबा 4. 34 एकड़ जिसके पूर्व में पदमसिंह का खेत, पश्चिम में रामसुजान का खेत, उत्तर में प्रतिवादी का शेष रकवा एवं दक्षिण में कमलसिंह है, **(जिसे आगे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जावेगा)** पर अपने अंश की घोषणा एवं प्रतिवादी कं. 1 द्वारा प्रतिवादी कमांक 2 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि के संबंध में किये गये विकय पत्र दिनांक 26.12.16 को शून्य घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी कमांक 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाये जाने की सहायता हेतु प्रस्तुत वाद को अस्वीकार किया गया है। **(प्रकरण में आगे अपीलार्थीगण को वादी एवं प्रतिवादीगण को उत्तरवादीगण से संबोधित किया जाएगा।)**

02– विचारण न्यायालय तथा इस न्यायालय के समक्ष प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी कं.1 व 2 प्रतिवादी कं. 1 पोहपसिंह के पुत्र है तथा वादी कं.3 प्रतिवादी क.1 की पुत्री स्व.श्रीमति गंगाबाई का पुत्र एवं वादी क. 4 प्रति.क. 1 की पुत्री नन्हीबाई का पुत्र है। प्रतिवादी कमांक 1 ने दिनांक 26.11.16 को प्रतिवादी कमांक 2 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित किया।

03– विचारण न्यायालय के समक्ष वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि

13-1-2025

(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला–नर्मदापुरम,म.प्र.

वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज मुल्लू पटैल के स्वामित्व की भूमि थी एवं मुल्लू पटैल का स्वर्गवास करीब 50 साल पूर्व हो गया है। स्वर्गीय मुल्लूजी की मृत्यु के बाद भूमि पर प्रतिवादी कमांक 1 पोहपसिंह के साथ वादीगण को भी विरासतन हक प्राप्त हुआ है परंतु प्रतिवादी कमांक 1 ने वादीगण को बिना जानकारी के उपरोक्त भूमि प्रतिवादी कमांक 2 को दिनांक 26.12.2016 को विक्रय कर दी है। वादी कं. 1 व 2 दिनांक 25.12.2016 को अपने भांजे से मिलने ग्राम पथरई व इटालखापा गये थे और दिनांक 31.12.2016 को अपने खेत पर गये तो प्रतिवादी कमांक 2 ने उन्हें खेत पर जाने से मना किया और कहा कि इस खेत पर तुम्हारा कोई हक व अधिकार नहीं है। वादी कं. 1 व 2 ने अपने भांजा तथा प्रतिवादी कं. 1 से चर्चा की तो वादीगण को घर का मामला है, बैठकर सुलझा लेगें, कहकर समझा दिया। प्रतिवादी कं. 2 ने दिनांक 31.12.2016 को बताया कि विवादित भूमि प्रतिवादी कमांक 1 ने उनको विक्रय कर दिया है।

04— विचारण न्यायालय के समक्ष वाद संक्षेप में यह भी है कि वादीगण को विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिवादी कमांक 1 ने प्रतिवादी कमांक 2 को भूमि विक्रय कर दी है, जबकि प्रतिवादी क. 1 को यह भूमि विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि यह भूमि स्वर्गीय मुल्लू से वादीगण एवं प्रतिवादी क 1 को प्राप्त हुई थी और इस भूमि पर उसे 1/5 अंश का स्वामित्व था। प्रतिवादी कमांक 1 ने प्रतिवादी कमांक 2 के हक में किये गये विक्रय से वादीगण के हक

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला-नर्मदापुरम,म.प्र.

प्रभावित होते हैं कथित विक्रय पत्र वादीगण के हितों पर निष्फल एवं शून्यप्रभावी है और वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी कमांक 1 से वादीगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त कराकर वापस कब्जा दिलाये जाने हेतु वाद कारण दिनांक 31.12.2016 को उत्पन्न होना बताते हुए निर्धारित न्यायशुल्क चस्पा कर वादीगण के पक्ष में आज्ञप्ति पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया।

05— विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त प्रतिवादी क्र. 2 ने वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए वादीगण के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथनों में अभिवचन किया है कि प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा वादीगण की सहमति व जानकारी से वर्ष 2007 में वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का अनुबंध प्रतिवादी कमांक 2 से किया था जिस पर साक्षीगण के साथ साथ वादीगण ने भी अपने हस्ताक्षर एवं अगूंठा निशानी लगायी थी, परंतु रजिस्ट्री केवल 4 एकड़ भूमि के संबंध में की गयी है, 34 डिस्मिल भूमि भी उसके आधिपत्य में चली आ रही है। प्रतिवादी कमांक 1 ने प्रतिवादी कमांक 2 से 4.34 एकड भूमि का पूरा प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं क्योंकि खानदानी भूमि प्रतिवादी कमांक 1 व वादीगण की लगभग 40 एकड़ है जिस पर प्रतिवादी कमांक 1 ने पूर्व में ही वादीगण व अपनी पुत्रियों को हक व हिस्सा देकर अलग–अलग भूमि कर दी है तथा वादीगण अपने हिस्से में आयी हुई भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहे हैं। प्रतिवादी कमांक 1 को पुत्री की शादी में रूपयों की आवश्यकता होने के कारण वादी कमांक 1 व 2 की

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला–नर्मदापुरम,म.प्र.

जानकारी व सहमति से विक्रय की है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व वादीगण की नियत में खोट आ गयी है। वह लोग प्रतिवादी क्रमांक 2 को परेशान करने और अधिक राशि हड़पने की नियत से मिलीभगत से दुर्भि–संधि कर झूठा दावा प्रस्तुत किया है। अतः प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06– विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किया है एवं प्रति.क्र.1 की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिसानों द्वारा भी कोई वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

07– प्रतिवादी क्र.3 मध्यप्रदेश राज्य प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है एवं उसकी ओर से भी कोई वादोत्तर प्रस्तुत नही किया गया है।

08– अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत अपील में यह आधार लिये हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय में विधि संबंधी एवं तथ्यात्मक भूल की है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 को प्रमाणित नहीं मानकर गंभीर विधि संबंधी भूल की है। विचारण न्यायालय का साक्ष्य का एकपक्षीय मूल्यांकन कर मात्र कल्पनाओं और सम्भावनाओं के आधार पर अनियमित, आधारहीन, अवैधानिक और असंगत निष्कर्ष निकालकर गम्भीर भूल की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

09– उत्तरवादी/प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को विधि के प्रावधानों के अनुकूल दिया जाना दर्शाते हुए अपील को सारहीन होने से सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला–नर्मदापुरम,म.प्र.

की गई है।

10— **<u>इस अपील के निराकरण हेतु अवधारणीय प्रश्न यह है कि</u>** :–

1. क्या वादीगण ग्राम मोकलवाड़ी तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 118 रकवा 4.34 एकड़ भूमि स्वर्गीय मुल्लू की होकर उत्तराधिकार के आधार पर वादीगण के स्वामित्व की है ?
2. क्या स्वर्गीय पोहपसिंह द्वारा प्रतिवादी कमांक 2 रामसिंह के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2016 वादीगण के हितो के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होकर वादीगण पर बंधनकारी नहीं है ?
3. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय या आज्ञप्ति दिनांक 30.08.2022 विधि एवं तथ्यों की भूल एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य का उचित मूल्याकंन नहीं किये जाने से अपास्त किये जाने योग्य है?

—::<u>सकारण निष्कर्ष</u>::—

<u>अवधारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2 के संबंध में</u> :—

11— इस संबंध में महेन्द्रसिंह (वा.सा.1) का कथन है कि ग्राम मौजा मोकलवाडी, तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 118 रकवा 4.34 एकड उसकी खानदानी जमीन है और स्वर्गीय मुल्लू पटेल उसके दादाजी, पोहपसिंह उसके पिताजी थे, यह जमीन पूर्वजों के समय से उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की है, इसे मेड वाले खेत के नाम से

13-1-2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला—नर्मदापुरम,म.प्र.

जाना जाता है। मुल्लू पटेल की मृत्यु 50 वर्ष पूर्व हुई इसके बाद विरासत में उक्त भूमि उसके पिता पोहपसिंह और पोहपसिंह के पुत्र पुत्रियों को प्राप्त हुई इसलिए पोहपसिंह को भूमि विक्रय करने का अधिकार नही था और उसने दिनांक 26.12.16 को उक्त भूमि रामसिंह प्रतिवादी क्रमांक 2 को विक्रय की है। वह विक्रय पत्र वादीगण पर बंधनकारी नही है क्योंकि वादी के पिता उक्त भूमि के स्वत्वाधिकारी नहीं थे उन्हें उक्त भूमि का 1/5 अंश ही प्राप्त होता, उन्होंने सम्पूर्ण भूमि का विक्रय किया है। अतः किया गया विक्रय पत्र अवैध, शून्यप्रभावी होना व्यक्त किया।

12– उक्त साक्षी ने अपने परीक्षण के दौरान ग्राम मोकलवाडा की संशोधन पंजी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 1 एवं 2 प्रस्तुत की है तथा खसरा पांचसाला सन 1942–43 से सन 1946–47 की खसरा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 4 एवं सन 1952 से 1962 तक खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपिया प्रदर्श पी 5 लगायत प्रदर्श पी 7 प्रस्तुत की है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज में सर्वे क्रमांक 118 रकवा 4.34 मुल्लू पटेल का होने का उल्लेख नहीं है।

13– अपीलार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि सर्वे क्रमांक 121/1 एवं 121/2 एवं 161/1 का रिनम्बरिंग 118 हुआ है और इस संबंध में उन्होंने प्रदर्श पी 4, 5 एवं 6 के दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित कराकर यह साबित किया है कि वादोक्त भूमि पैत्रिक होकर सहदायिक सम्पत्ति है जिस पर वादीगण का भी हक बनता है इसलिए पोहपसिंह को उक्त भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था। उक्त तर्क में इसलिए बल नहीं है क्योंकि

13-1-2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला-नर्मदापुरम,म.प्र.

वादी/अपीलार्थी को रिनम्बरिंग सूची के संबंध में किसी राजस्व अधिकारी को बुलाकर साक्ष्य में प्रदर्शित व प्रमाणित कराना चाहिए था कि सर्वे क्रमांक 121/2 एवं 161/1 से ही सर्वे क्रमांक 118 बना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–101 में यह प्रावधान किया गया है कि– ''जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।''

14– महेन्द्र सिंह (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके पिता और उसके चाचा खुमानसिह के मध्य सम्पत्ति का बंटवारा हो गया है और उक्त बटवारा लगभग 25 वर्ष पहले हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि प्रदर्श पी 1 व पी 2 की संशोधन पंजी से भी होना पायी जाती है कि विरासतन हक में मॉ सत्तू सन 1959 में फौत होने के कारण बटवारे के अनुसार पोहपसिंह और उसके भाई के मध्य उनके पिता मुल्लू पटैल से मिली सम्पत्तियों का विभाजन हो गया था। न्यायदृष्टांत **<u>अनिल तथा अन्य वि0 गट्टूलाल तथा अन्य 2002 राजस्व निर्णय 109</u>** में म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा–8 के संदर्भ

13.1.2025

(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला–नर्मदापुरम,म.प्र.

में यह बताया गया है कि पिता के द्वारा विभाजन में पैत्रक सम्पत्ति से प्राप्त अंशों में पुत्रों को जन्म के द्वारा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते, वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में **कमीश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स थानपुर वि0 चंद्रसेन ए.आई.आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट 1753, युधिष्ठिर विरूद्ध अशोक कुमार ए.आई.आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट 558**, अवलोकनीय है।

15– जैसा कि महेन्द्रसिंह (वा.सा.1) का कथन है कि वादोक्त भूमि उसके पिता के एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्य की नहीं थी इसलिए उन्हें अकेले बेचने का अधिकार नही था और उसके द्वारा किया गया विक्रयपत्र अवैध, शून्य और वादीगण पर बंधनकारक नहीं है। उक्त कथन का लाभ वादीपक्ष को इसलिए प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वादी महेन्द्र(वा.सा.1) ने स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 27 में यह स्वीकार किया है कि विक्रय पत्र प्रदर्श डी 1 के पेज नम्बर 12 के ए से ए भाग पर उसके भाई पर्वत पटेल की फोटो चस्पा है और उक्त विक्रयपत्र चार साल पहले 2016 में हुआ था और प्रदर्श डी 1 के विक्रय पत्र की जानकारी उसे विक्रयपत्र निष्पादित होते समय उसे हो गयी थी। ऐसी स्थिति में एक वादी पर्वतसिंह उक्त विक्रयपत्र पर अपना फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर करता है और उसका भाई महेन्द्रसिंह उक्त विक्रय पत्र को अवैध और शून्य बताता है। ऐसी स्थिति में उक्त विक्रयपत्र वादी पर्वत पटेल के व्यक्तिगत ज्ञान में पोहपसिंह द्वारा रामसिंह प्रति.क.2 के पक्ष में

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला–नर्मदापुरम,म.प्र.

निष्पादित किया जाना प्रदर्श डी 1 के विक्रयपत्र से दर्शित है।

16– इसी प्रकार चरनसिंह (वा.सा.2) का कथन है कि वादीगण के परिवार के मुखिया पोहपसिह थे जो उनके जीवनकाल में वादोक्त भूमि पर कास्तकारी कार्य करते थे और उनके पुत्र पर्वतसिंह और महेन्द्रसिंह की यह भूमि खानदानी होना बताया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है जिस भूमि के संबंध में गवाही देने आया है उसका खसरा नम्बर उसे नहीं मालूम। उसे इस बात की भी जानकारी नही है कि मेड वाली जमीन जिसे विवादित भूमि कहा जा रहा है, को पोहपसिंह द्वारा क्रय किया गया था या नहीं। पोहपसिंह के पास जो जमीन विवादित थी वह उसके पास कैसे और कहॉ से आयी उसे नही मालूम। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी का यह कथन कि उक्त भूमि खानदानी भूमि है और उस पर वादीगण का भी अधिकार है, इस संबंध में दिया गया कथन विश्वास योग्य नहीं है।

17– कोदूलाल (वा.सा.3) का भी यही कथन है कि वादीगण के पिता पोहपसिंह थे और उनके जीवनकाल में वादोक्त भूमि सर्वे नम्बर 118 रकवा 4.34 एकड पर वह कृषि कार्य करते थे और वादीगण भी उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते थे उक्त भूमि खानदानी भूमि है और वादीगण का भी उस पर अधिकार है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला-नर्मदापुरम,म.प्र.

पोहपसिंह के पास कितनी भूमि थी, उनके क्या खसरा नम्बर थे, पोहपसिंह के पुत्रों के पास कितनी कितनी भूमि है, पोहपसिंह ने कितनी भूमि क्रय की थी, कितनी विक्रय की थी उसे जानकारी नही है। यहां तक उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पहले न्यायालय में आकर कोई शपथ पत्र नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथन का लाभ भी वादी पक्ष को प्राप्त नही होता।

18– अपीलार्थीगण अधिवक्ता का तर्क है कि सहदायिकी सम्पत्ति को यदि संयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के द्वारा विक्रय किया जाता है तो क्रेता को न तो कोई हक प्राप्त होता है और न ही वह कब्जे का अधिकारी होता है तथा प्रतिफल भी यदि रजिस्टार के समक्ष अदा नहीं किया गया है तो ऐसा विक्रयपत्र संदेहास्पद माना जाता है। अपने तर्क के समर्थन में **गिरधर विरूद्ध लाडकी बाई 1988 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 127 एवं परिमल सिंह मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधि विरूद्ध धनश्याम आदि 2020(2) एम.पी.एल.जे. 132** का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह बताया गया है कि एक सहदायिकी द्वारा विक्रय करने पर क्रेता को कोई हक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति का विभाजन नहीं होता तब तक सहअंशधारी सम्पत्ति का कोई विनिर्दिष्ट हिस्सा बेच नहीं सकता। उक्त न्याय दृष्टांत अपीलार्थी पक्ष को इसलिए लाभ नहीं पहुंचाता

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला नर्मदापुरम म.प्र.

क्योंकि वादोक्त भूमि सहदायिकी सम्पत्ति नहीं है बल्कि पोहपसिंह एवं खुमानसिंह के मध्य दिनांक 01.07.1959 को उक्त सम्पत्ति का विभाजन हो गया है जब पैत्रिक सम्पत्ति का विभाजन हो जाये तो वह सम्पत्ति जिस व्यक्ति को विभाजन में प्राप्त होती है वह उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में उस सम्पत्ति को व्ययन करने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में पोहपसिंह को वादोक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था जिसके कारण उसके द्वारा किया गया विक्रय पत्र प्रदर्श डी 1 किसी भी दृष्टि से अवैध नहीं माना जा सकता ।

19— अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क समर्थन में एक ओर न्याय दृष्टांत **पदमसिंह विरूद्ध मेसर्स नेमीचंद खेमचंद 1994 (2) एम.पी. डब्ल्यू.एन.87** को प्रस्तुत किया जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह बताया गया कि जहां विक्रय विलेख का संदाय रजिस्टार के समक्ष नहीं किया गया हो वहां विक्रय पत्र सन्देह उत्पन्न करता है। इसी बिन्दु पर एक ओर न्याय दृष्टांत **भैयालाल विरूद्ध रामकुमार 2003 एम.पी. डब्ल्यू.एन. 156** का प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों ही न्याय दृष्टांत अपीलार्थी पक्ष को इसलिए लाभ नहीं पहुंचाते क्योंकि विक्रय पत्र प्रदर्श डी 1 पर वादी पर्वतसिंह का स्वयं का फोटोग्राफ चस्पा है और महेन्द्रसिंह द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि उसे

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला—नर्मदापुरम,म.प्र.

विक्रय पत्र की जानकारी विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक से ही थी। प्रदर्श डी 1 का विक्रय पत्र में प्रतिफल प्राप्त हुआ या नहीं इस सबंध में आपत्ति करने का अधिकार पोहपसिंह को है क्योंकि उसके द्वारा उक्त विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है या इस बिन्दु पर साक्ष्य देकर पर्वतसिंह वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर सकता था किन्तु वह साक्ष्य देने उपस्थित नहीं हुआ ऐसी स्थिति में उक्त न्यायदृष्टांत का लाभ अपीलार्थी पक्ष को प्राप्त नहीं होता है। प्रदर्श डी 1 में इस बात का उल्लेख है कि विक्रय विलेख का निष्पादन किया गया और प्रतिफल की पूर्ण राशि 6,00,000 रूपये प्राप्त हो गये है। धारा 92 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी संविदा अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन में पक्षकारों द्वारा शर्तो को यदि लेखबद्ध कर लिया गया है तो उसे मौखिक साक्ष्य से खंडित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में भी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत अपीलार्थी पक्ष को लाभ नहीं पहुंचाते ।

20– रामसिंह (प्र.सा.1) ने अपने न्यायालीन कथन में बताया है कि उसने वादोक्त भूमि वादी की सहमति व जानकारी में पहले वादीगण के पिता से अनुबंध कर कब्जें में ली उसके पश्चात 4 एकड भूमि की प्रतिफल देकर रजिस्ट्री करायी जो प्रदर्श डी 1 है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी 1 के सी से सी भाग पर विक्रय प्रतिफल की राशि 6,00,000/– रूपये नगदी प्राप्त कर लिये

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला–नर्मदापुरम,म.प्र.

है, अब कुछ लेना देना शेष नही है उल्लेखित है। विक्रयपत्र प्रदर्श डी 1 में इस बात का उल्लेख है कि विक्रय की जा रही भूमि आई.सी.आई.सी. आई.बैंक पिपरिया में बंधक थी। इस बात को भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्र.1 स्व. पोहपसिंह से 4 एकड भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है।

21– इसी प्रकार मदनलाल (प्र.सा.2), प्रतापसिंह (प्र.सा.3) एवं कमलसिंह (प्र.सा.4) ने भी प्रतिवादी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि 14–15 साल पूर्व पोहपसिंह ने वादी पर्वतसिंह पटेल मास्टर की उपस्थिति में वादोक्त भूमि बाबत एक इकरारनामा राजेन्द्रसिंह के पक्ष में निष्पादित किया था और बैयाने के 2,00,000/– रूपये नगद प्राप्त किये थे। शेष राशि रजिस्ट्री के समय देने की बात हुई थी तभी से वादोक्त भूमि पर राजेन्द्रसिंह एवं रामसिंह का कब्जा चला आ रहा है। अर्थात उक्त साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट है कि वादोक्त भूमि पूर्व से ही प्रतिवादी क्र.2 के आधिपत्य में चली आ रही है तभी वादी के द्वारा कब्जा वापिसी का अनुतोष चाहा गया है।

22– इस संबंध में **मुकुन्द्र विरूद्ध श्रीमति सुलक्षणा बोहरे ए.आई.आर. 2017 एम.पी. 188** में माननीय उच्च न्यायालय ने **उत्तम विरूद्ध सौभाग्य सिंह ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 1169** को अवलंबित करते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के परन्तुक के द्वारा हिन्दु पुरूष की अर्जित संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद धारा 8 हिन्दु

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला-नर्मदापुरम,म.प्र.

उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार संयुक्त परिवार के संपत्ति के सांकेतिक विभाजन और अंशो के निर्धारण के बाद सहदायकी समाप्त हो जाती है और ऐसा पुरूष संपत्ति को सामनविक अभिधारी के रूप में निर्धारित करता है ना की संयुक्त अभिधारी के रूप में। हस्तगत प्रकरण में वादीगण के पिता को उक्त संपत्तियां सामनविक अभिधारी के रूप में प्राप्त हुई थी और उक्त संपत्ति पोहपसिंह और खुमानसिंह के मध्य दिनांक 01.07.1969 को विभाजन हो चुका है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि सहदायकी समाप्ति के उपरांत प्राप्त हुई है।

23– साथ ही इस संबंध **कमिश्नर ऑफ वेल्थ टेक्स कानपुर विरूद्ध चंद्रसेन एआईआर 1986 एस.सी. 1753 चन्द्रकांता विरूद्ध अशोक कुमार 2002 (3) एम.पी.एल.जे. 576** से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे ही पोहपसिंह और उसके भाई खुमानसिंह के मध्य पैतृक संपत्तियों का बंटवारा दिनांक 01.07. 1959 को हो जाने से वादोक्त भूमि सहयादिकी संपत्ति नही रही है बल्कि स्वअर्जित संपत्ति हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में पिता के जीवनकाल में उक्त भूमि पर वादीगण को कोई हक अर्जित होना नहीं माना जा सकता है।

24– न्यायदृष्टांत **परिमल विरूद्ध बीना 2011(3) एम.पी.एल.जे.–241** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''तथ्यों के सबूत का भार उस पक्षकार पर रहता है, जो सारतः इसका प्राख्यान करता है और उस पर नहीं जो इससे इंकार करता है।'' **पूनाराम वि0 मोतीराम मृत द्वारा विधिक वारसान एआईआर 2019 एस.सी. 813** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सबूत का भार –

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला–नर्मदापुरम,म.प्र.

वादी को अपना मामला न्यायालय के समाधान पर साबित करना होगा, वह प्रतिवादी की दुर्बलता पर भरोसा नहीं कर सकता।

25– अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय मुल्लू से उत्तराधिकार में प्राप्त होकर वादीगण के स्वामित्व की होने एवं वादोक्त भूमि के संबंध में स्व. पोहपसिंह द्वारा प्रतिवादी कमांक 2 के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 26.12.2016 वादीगण के हितों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होने को प्रमाणित नहीं मानने के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले हैं वे पूर्णतः विधि एवं तथ्यों के आधार पर अनुकूल होने से उक्त निष्कर्षो की पुष्टि होती है।

<u>अवधारणीय प्रश्न कमांक 3 के संबंध में</u> :–

26– उपरोक्त विवेचना के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आज्ञप्ति दिनांक 30.08.2022 विधि एवं तथ्यों के अनुकूल होकर प्रकरण में आयी साक्ष्य का उचित मूल्याकंन कर पारित की है। परिणामतः अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत नियमित अपील अंतर्गत धारा 96 व्य.प्र.स. अस्वीकार की जाकर निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:–

1. अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
2. विचारण न्यायालय द्वारा नियमित व्यवहार वाद कमांक 10अ/2017 में घोषित निर्णय व डिकी दिनांक 30.08.

13.1.2025
(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर
जिला-नर्मदापुरम,म.प्र.

द्वितीय जिला न्यायाधीश सोहागपुर, जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

2022 की पुष्टि की जाती है।

3. अपीलार्थीगण / वादीगण उनका स्वयं का एवं उत्तरवादी क्र.2 / प्रतिवादी क्र.2 का वाद भी व्यय वहन करेंगे।

4. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार डिक्री की रचना की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया।

13.1.2025

(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश, सोहागपुर
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

13-1-2025

(सुरेश कुमार चौबे)
द्वितीय जिला न्यायाधीश, सोहागपुर
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

SURESH KUMAR CHOUBEY

Digitally signed by SURESH KUMAR CHOUBEY
Date: 2025.01.13 17:55:59 +05'30'